



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 कार्तिक 1944 (श10)
(सं0 पटना 966) पटना, शुक्रवार, 11 नवम्बर, 2022

सं० सि०वि०नि०(स्था०)-01-06/2020-904
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(सिविल विमानन निदेशालय)

संकल्प

11 नवम्बर, 2022

विषय:- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत सिविल विमानन निदेशालय के वायुयान संगठन में निदेशक संचालन-सह-मुख्य विमान चालक के पद पर संविदा के आधार पर नियोजित किये जाने एवं नियोजित होने वाले निदेशक संचालन-सह-मुख्य विमान चालक को पारिश्रमिक के रूप में ₹2.50 लाख प्रतिमाह (5% वार्षिक वृद्धि) के अतिरिक्त ₹2.75 लाख प्रतिमाह विशेष भत्ता एवं ₹2500/- प्रति घंटे की दर से न्यूनतम ₹25000/- विशेष उड़ान भत्ता अर्थात् कुल मिलाकर प्रारम्भिक न्यूनतम ₹5.50 लाख (पाँच लाख पचास हजार रुपये) प्रतिमाह निर्धारित किये जाने के संबंध में।

सिविल विमानन निदेशालय, बिहार, पटना का प्रमुख कार्य बिहार राज्य के गणमान्य व्यक्तियों का उड़ान कराया जाना है। उक्त क्रम में राजकीय विमानों एवं हेलीकॉप्टरों का संधारण एवं संचरण का भी कार्य किया जाता है।

02. सिविल विमानन निदेशालय का सम्पूर्ण कार्य निदेशक संचालन-सह-मुख्य विमान चालक के संरक्षण एवं देख-रेख में सम्पन्न किया जाता है। वर्तमान में यह पद रिक्त होने के कारण मुख्य उड़्डयन प्रशिक्षक को प्रभार सौंप कर कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है। बिहार राज्य सिविल विमानन सेवा भर्ती नियमावली, 1997 के अनुसार निदेशक संचालन-सह-मुख्य विमान चालक का पद अपर निदेशक संचालन-सह-वरीय अपर मुख्य विमान चालक से पदोन्नति का पद है। निदेशक संचालन-सह-मुख्य विमान चालक के नीचे के कई पद कई वर्षों से रिक्त होने के कारण निकट भविष्य में इसे भरा जाना सम्भव नहीं है।

03. बिहार राज्य सिविल विमानन सेवा भर्ती नियमावली, 1997 की कंडिका-9 के अनुसार सुयोग्य उम्मीदवारों के अनुपलब्ध रहने के स्थिति में वांछित योग्यता वाले उम्मीदवारों की सेवा राज्य सरकार, कार्यहित में संविदा अथवा सावधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर कर सकेगी।

04. उक्त नियमावली एवं कार्यहित में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत सिविल विमानन निदेशालय के वायुयान संगठन में निदेशक संचालन-सह-मुख्य विमान चालक के पद पर संविदा के आधार पर नियोजित किये जाने एवं नियोजित होने वाले निदेशक संचालन-सह-मुख्य विमान चालक को पारिश्रमिक के रूप में ₹2.50 लाख

प्रतिमाह (5% वार्षिक वृद्धि) के अतिरिक्त ₹2.75 लाख प्रतिमाह विशेष भत्ता एवं ₹2500/- प्रति घंटे की दर से न्यूनतम ₹25000/- विशेष उड़ान भत्ता अर्थात् कुल मिलाकर प्रारम्भिक न्यूनतम ₹5.50 लाख (पाँच लाख पचास हजार रुपये) प्रतिमाह निर्धारित किया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट में प्रकाशित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० एस० सिद्धार्थ,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 966-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>